न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/149/2025	2025/385	18.09.2025	03.06.2026

1– बिमला बाई पुत्री प्रीतोबाई पत्नी तेजासिंह जाति रायसिख निवासी हाल बिदरका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थनी

बनाम

1– प्रीतोबाई पत्नी मंगतसिंह,
2– सत्यपाल पुत्र प्रीतोबाई,
3– कलवन्तसिंह पुत्र प्रीतोबाई,
4– सुखदेव पुत्र हरपोल पोत्र प्रीतोबाई,
5– वीराबाई पत्नि सुखदेव पुत्र वधु प्रीतोबाई जातियान रायसिख निवासीयान ग्राम माटावास तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
6– तारासिंह पुत्र अतरसिंह जाति रायसिंख निवासी सारेकंला तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
7– बैंक ऑफ बडौदा शाखा टपूकडा जर्ये शाखा प्रबंधक टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
8– उप पजियक टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
9– भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
10– उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रकिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन उनवानी वाद बिमला बाई बनाम प्रीतोबाई वगै0 वाद संख्या 263/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 243/2025 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

आदेश

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण/अप्रार्थी उक्त वाद में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजबाज हो चुके, प्रतिवादीगण/अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज होकर जारी स्थगन आदेश का निरस्त कराना चाहते है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थनी बिमला बाई पुत्री प्रीतोबाई पत्नी तेजासिंह जाति रायसिख निवासी हाल बिदरका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा, विधि अनुसार उनवानी वाद विचाराधीन उनवानी वाद बिमला बाई बनाम प्रीतोबाई वगै0 वाद संख्या 263/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 243/2025 का विधिवत निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
खैरथल–तिजारा